स्मार
अतिआवश्यक
कोर्ट केस

पत्रांक–2 / एम–11 / 2019– 709(2)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विद्यानन्द जमादार
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

अपर सचिव,
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची ।

पटना, दिनांक 7/5/2025

विषय : डा० अजय कुमार, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पताही पूर्वी चम्पारण का वेतन पुर्जा निर्गत करने के सम्बन्ध में।

प्रसंगः स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–1974(2) दिनांक–31.10.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में कहना है कि डा० अजय कुमार, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पताही पूर्वी चम्पारण के द्वारा निलंबन अवधि दिनांक– 21.10.1994 से 29.01.2004 तक के जीवन निर्वाह भत्ता हेतु वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध किया गया, इसके आलोक में वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1020(25) दिनांक–30.05.2023 द्वारा विभाग से निम्नांकित सूचनाऍं / अभिलेख की मॉग किया गया था, जिसके आलोक में स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–1974(2), दिनांक–31.10.2023 द्वारा आपसे क्रमांक–2 एवं 3 के आलोक में वांछित प्रतिवेदन की माँग की गयी थी, जो अबतक अप्राप्त है।

1. डा० कुमार के निलंबन अचवधि में उनका मुख्यालय सिविल सर्जन कार्यालय, गुमला निर्धारित किया गया था, जो वर्त्तमान में झारखड राज्य में है। अतः उक्त अवधि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कौन होंगे तथा किस कोषागार से वेतन की निकासी की जाएगी, की सूचना ।
2. निलंबन अवधि के अवकाश / अनुपस्थिति की सूचना।
3. निलंबन अवधि का अभुगतेय प्रमाण–पत्र।

अतः पुनः अनुरोध है कि उपर्युक्त क्रमांक–1,2 एवं 3 के आलोक में वांछित प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,
(विद्यानन्द जमादार)

D>2023>sec-2 letter (M)